

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस० )

वाद सं० : 313 सन 2021

अनवान :-

1. विकास कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद उर्फ हनुमान राम जाति ब्रह्मण्य निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. हनुमान प्रसाद उर्फ हनुमान राम जाति ब्रह्मण्य निवासी ननाउ तहसील नोहर।
2. सुरेश कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद उर्फ हनुमान राम जाति ब्रह्मण्य निवासी ननाउ तहसील नोहर।
3. बनवारी पुत्र पदमा जाति ब्रह्मण्य निवासी ननाउ तहसील नोहर।
4. मुकेश पुत्र बनवारी लाल जाति ब्रह्मण्य निवासी ननाउ तहसील नोहर।
5. पवन कुमार पुत्र बनवारी लाल जाति ब्रह्मण्य निवासी ननाउ तहसील नोहर।
6. सुमन पुत्री बनवारी लाल जाति ब्रह्मण्य निवासी ननाउ तहसील नोहर।
7. संजु पुत्री बनवारी लाल जाति ब्रह्मण्य निवासी ननाउ तहसील नोहर।
8. लक्ष्मी पुत्री पदमा राम उर्फ पदमा जाति ब्रह्मण्य निवासी ननाउ तहसील नोहर।
9. आशादेवी पुत्री पदमा राम उर्फ पदमा जाति ब्रह्मण्य निवासी ननाउ तहसील नोहर।
10. मीरादेवी पुत्री पदमा राम उर्फ पदमा जाति ब्रह्मण्य निवासी ननाउ तहसील नोहर।
11. कमला पुत्री पदमा राम उर्फ पदमा जाति ब्रह्मण्य निवासी ननाउ तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिथत : श्री अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 29/7/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 268/260 की कुल 5.9440 हैक् व रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 269/259 की कुल 9.1050 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा मृतक पारी के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की दादी पारी पत्नी पदमा उर्फ पदमाराम के नाम से दर्ज है वादी की दादी पारी पत्नी पदमा उर्फ पदमाराम का देहान्त हो चुका है पारी पत्नी पदमा उर्फ पदमाराम के जायज व कानुनी वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 जो पारी पत्नी पदमा उर्फ पदमाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 वादी की बुआ/बहन है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3 की बहन एवं पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में अपने बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की पारी पत्नी पदमा उर्फ पदमाराम जो वादी का दादी है के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की मृतक दादी पारी पत्नी पदमा उर्फ पदमाराम के नाम से दर्ज है जिसके जायज व कानुनी वारीसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 है जो वाद भूमि पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 12 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 268/260 की कुल 5.9440 हैक व रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 269/259 की कुल 9.1050 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा मृतक पारी के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की दादी पारी पत्नी पदमा उर्फ पदमाराम के नाम से दर्ज है वादी की दादी पारी पत्नी पदमा उर्फ पदमाराम का देहान्त हो चुका है पारी पत्नी पदमा उर्फ पदमाराम के जायज व कानुनी वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 जो पारी पत्नी पदमा उर्फ पदमाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 वादी की बुआ/बहन है एवं प्रतिवादी संख्या 1,3 की बहन एवं पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में अपने बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आर.आर.डी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 268/260 की कुल 5.9440 हैक व रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 269/259 की कुल 9.1050 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा मृतक पारी के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पारी पत्नी पदमाराम उर्फ पदमा के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है पारी पत्नी पदमाराम उर्फ पदमा के

जायज एवं कानूनी वारिसान वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल जबाब भी पेश किया जो शामिल मिसल है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 जो वादी की बहन/बुआ है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 268/260 की कुल 5.9440 हैक् भूमि जो मृतक पारी के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 3 दोनो बहिब के एवं रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 269/259 की कुल 9.1050 हैक् में से मृतक पारी का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 दोनो बहिब 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4, 5 बहिब दोनो 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाबा दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/7/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. विकास कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद उर्फ हनुमान राम जाति ब्रह्मण निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. हनुमान प्रसाद उर्फ हनुमान राम जाति ब्रह्मण निवासी ननाउ तहसील नोहर।
2. सुरेश कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद उर्फ हनुमान राम जाति ब्रह्मण निवासी ननाउ तहसील नोहर।
3. बनवारी पुत्र पदमा जाति ब्रह्मण निवासी ननाउ तहसील नोहर।
4. मुकेश पुत्र बनवारी लाल जाति ब्रह्मण निवासी ननाउ तहसील नोहर।
5. पवन कुमार पुत्र बनवारी लाल जाति ब्रह्मण निवासी ननाउ तहसील नोहर।
6. सुमन पुत्री बनवारी लाल जाति ब्रह्मण निवासी ननाउ तहसील नोहर।
7. संजु पुत्री बनवारी लाल जाति ब्रह्मण निवासी ननाउ तहसील नोहर।
8. लक्ष्मी पुत्री पदमा राम उर्फ पदमा जाति ब्रह्मण निवासी ननाउ तहसील नोहर।
9. आशादेवी पुत्री पदमा राम उर्फ पदमा जाति ब्रह्मण निवासी ननाउ तहसील नोहर।
10. मीरादेवी पुत्री पदमा राम उर्फ पदमा जाति ब्रह्मण निवासी ननाउ तहसील नोहर।
11. कमला पुत्री पदमा राम उर्फ पदमा जाति ब्रह्मण निवासी ननाउ तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 313 सन 2021 निर्णय दिनांक-23/7/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 268/260 की कुल 5.9440 हैक् भूमि जो मृतक पारी के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1,3 दोनो बहिब के एवं रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 269/259 की कुल 9.1050 हैक् में से मृतक पारी का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 दोनो बहिब 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4,5 बहिब दोनो 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/7/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर (हनुमानगढ)